

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)



1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB KARNAL
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 30/05/2018 14:47 hrs
2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))
1 IPC 1860 409
2 IPC 1860 420
3 IPC 1860 120-B
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Wednesday Date from (दिनांक से): 30/05/2018 Date To (दिनांक तक): 30/05/2018
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 13:00 hrs
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/05/2018 Time (समय): 13:15 hrs
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 009 Date and Time (दिनांक और समय): 30/05/2018 13:15 hrs
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 50 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): Ardana, Assandh,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): Inspector Subhash
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 30/12/1962 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))
S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)
(h) Occupation (व्यवसाय):
(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	karnal, SVB KARNAL, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	karnal, SVB KARNAL, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरा विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Smt Seema Devi			1. Ardana, Assandh KARNAL, HARYANA, INDI A
2	RAJEEV			1. Ardana, Assandh KARNAL, HARYANA, INDI A

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, थाना प्रबन्धक, राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल श्रीमान जी, विरूद्ध श्रीमति सीमा देवी चैयरमैन पर्सन ब्लॉक समिति असंध एंवम उसके पति राजीव पुत्र श्री लिखमन वासी अरडाना ब्लॉक असंध, माननीय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय के क्रमांक 7101/आई-6/ राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला दिनांक 24-05-2018 के अनुसार एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई है जिसका मजबूत जैल है तहरीर जांच क्रमांक 04 दिनांक 06-02-2018 करनाल श्रीमान जी, जांच क्रमांक 04 दिनांक 06-02-2018 करनाल अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, चण्डीगढ़ के यादी क्रमांक 52/01/2018-2वौं-(II) दिनांक 05-02-2018 के सन्दर्भ में दर्ज रजिस्टर करके महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 1506/I-6/SVB(H) दिनांक 06-02-2018 द्वारा जांच के आदेश प्राप्त हुये थे। जिसकी जांच श्री श्याम लाल उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल द्वारा की गई थी। जिसमें आरोप था कि श्रीमति सीमा देवी ने ब्लॉक समिति की चैयरमैन पर्सन एंव उसकी पति राजीव पुत्र श्री लिखमन ने मिलकर गांव अरडाना में अपना मकान के निर्माण में सरकारी सीमेंट का प्रयोग करके अपने पद का दुरुप्रयोग किया और अपने प्रभाव से कुछ अधिकारियों की मिली भगत से सीमेंट की चोरी की। जो जांच के दौरान पाया गया कि सीमा देवी चैयर पर्सन ब्लॉक समिति असन्ध ने अपने पद का दुरुप्रयोग करके एंव उसके पति राजीव द्वारा सरकारी सम्पति का दुरुप्रयोग करने बारे व अपने गांव अरडाना में अपना निजी मकान में सरकारी सीमेंट का इस्तमाल करके सरकारी सम्पति का दुरुप्रयोग करने बारे जुर्म जल धारा 420,409,120-बी, भा0द0स0 का दर्ज रजिस्टर किया जाने का सुझाव दिया गया था। जो आरोप सिद्ध होने पर जो रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 2258/राज्य चौकसी ब्यूरो, दिनांक 23-02-2018 अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग, चण्डीगढ़ को भेजी गई था। जिसमें सीमा देवी चैयरपर्सन ब्लॉक समिति असन्ध जिला करनाल व इसके पति राजीव पुत्र लिखमन के विरुद्ध मुकदमा जेर धारा 420,409,120-बी, भा0द0स0 का दर्ज रजिस्टर किये जाने का सुझाव दिया गया था। जो अब अतिरिक्त सचिव चौकसी विभाग के पृष्ठ क्रमांक 52/10/2015-2 चौकसी-11 दिनांक 01-05-2018 के द्वारा अंतिम रिपोर्ट पर सीमा देवी व उसके पति पर सरकारी सीमेंट अपने निजी मकान गांव अरडाना के निर्माण में अपने पद का दुरुप्रयोग करके अधिकारियों पर दबाव डालकर लगाई गई है जो विरुद्ध 420,409,120-बी, भा0द0स0 के तहत दर्ज रजिस्टर की जाने के आदेश प्राप्त हुये है अत उपरोक्त आदेशो की पालना की में उपरोक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज बा जुर्म उपरोक्त दर्ज रजिस्टर करने के लिए तहरीर अरसाल है बाद मुकदमा दर्ज सम्बन्धित रिकार्ड, मिशल मुकदमा अनुसन्धान अधिकारी के पास भिजावाई जावे। नकुलात, प्रथम सूचना रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व अन्य अफसरान बाला को बजरिया डाक भेजी जावे। Sd/-Shyam Lal 22-05-2018 प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दिनांक 30-05-2018 at 12.30 PM अज थाना :- हस्ब आमदा डाक द्वारा प्राप्त तहरीर पर मु0 नं0 08 दिनांक 30-05-2018 जेर धारा 420,409,120-बी भा0द0स0 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्यूटरकृत प्रतिया तैयार कि गई। अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को बजरिया ई- Mail द्वारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस, असल तहरीर मय आमदा रिकार्ड को आगामी तफतीश हेतु मन निरीक्षक को सौंपा जाये। ब्यूरो जीन्द ने अपनी तहवील मे स्वयं रखी गई।

13.

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 1 (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया) or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SUBHASH Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 14H to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Subhash

Rank (पद): Inspector

